



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 19, 2019/कार्तिक 28, 1941

No. 411]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 19, 2019/KARTIKA 28, 1941

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विनियमन विभाग)

अधिसूचना

मुम्बई, 19 नवम्बर, 2019

सं. विवि. 047/मुमप्र (एमएम)-2019.—भारतीय रिज़र्व बैंक एतद् द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम 53) की धारा 2 के खंड (डी) में परिभाषित किए गए अनुसार आवास वित्त संस्थान हैं को छूट प्रदान करने वाली दिनांक 18 जून 1997 को जारी अधिसूचना संख्या डीएफसी (सीओसी) सं 112 ईडी (एसजी)/1997 (दिनांक 15 नवम्बर 1997 को भारतीय राजपत्र के खंड 4 के भाग III में प्रकाशित) जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-एनसी (1934 का अधिनियम 2) (अधिनियम) के अधीन जारी किया गया है को अधिनियम की धारा 45-आईए पर इसके अनुप्रयोग को छोड़कर, इस अधिनियम के अध्याय IIIबी के प्रावधानों से निरस्त करता है।

मनोरंजन मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./298/19]

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Regulation)

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th November, 2019

No. DOR. 047/CGM (MM)-2019.—The Reserve Bank of India hereby rescinds the Notification No. DFC (COC) No. 112 ED (SG)/1997 dated June 18, 1997 (published in PART III—Section 4 of the Gazette of India dated November 15, 1997) issued under section 45-NC of the Reserve Bank of India Act, 1934 (Act 2 of 1934) (the Act) granting exemption to Non-Banking Financial Companies which are Housing Finance Institutions as defined in clause (d) of section 2 of the National Housing Bank Act, 1987 (Act 53 of 1987) from the provisions of Chapter IIIB of the Act, except its application to section 45-IA of the Act.

MANORANJAN MISHRA, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./298/19]